

एसईसी-1/187(2)/2025/2214

दिनांक: 24 मार्च, 2025

लिस्टिंग विभाग, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड एक्सचेंज प्लाजा, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - ४०० ०५१	कॉर्पोरेट संबंध विभाग, बीएसई लिमिटेड पहली मंजिल, फिरोज जीजीभोय टॉवर्स, दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई - ४०० ००१
स्क्रिप कोड-RECLTD	स्क्रिप कोड-532955
Listing Department, National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, Bandra kurla Complex, Bandra (East), Mumbai-400 051	Corporate Relationship Department, BSE Limited 1 st Floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai - 400 001
Scrip Code-RECLTD	Scrip Code-532955

विषय: आरईसी लिमिटेड ("आरईसी") की परियोजना विशिष्ट एसपीवी/अनुषंगी कंपनियों की बिक्री और हस्तांतरण की सूचना।

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम 2015 के विनियम 30 के अनुसरण में, यह सूचित किया जाता है कि आरईसी की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड ("आरईसीपीडीसीएल") द्वारा आवश्यक प्रतिफल प्राप्त होने के बाद आरईसीपीडीसीएल द्वारा धारित 4 अनुषंगी कंपनियों की संपूर्ण शेयरधारिता, जिनमें प्रत्येक अनुषंगी कंपनी के 50,000 इक्विटी शेयर शामिल हैं, 24 मार्च, 2025 को टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से चुने गए सफल बोलीदाता को उनकी सभी परिसंपत्तियों और देयताओं के साथ सममूल्य पर स्थानांतरित कर दिया गया है।

क्र.सं.	आरईसी/आरईसीपीडीसीएल की अनुषंगी कंपनी का नाम	सफल बोलीदाता का नाम
1.	बनासकांठा ट्रांसको लिमिटेड	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
2.	कुरनूल- IV ट्रांसमिशन लिमिटेड	
3.	राजस्थान V पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	
4.	रतले किरू पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	इंडिग्रिड 2 प्राइवेट लिमिटेड

इसलिए, उपरोक्त तिथि से, उपरोक्त परियोजना विशिष्ट एसपीवी/अनुषंगी कंपनियां आरईसीपीडीसीएल और आरईसी की अनुषंगी कंपनियों नहीं हैं। इसके अतिरिक्त, सेबी परिपत्र दिनांक 13 जुलाई, 2023 और अन्य लागू परिपत्रों के तहत आवश्यक विवरण अनुबंध-1 के रूप में संलग्न हैं।

यह आपकी जानकारी के लिए है।

धन्यवाद,

Jyoti Shubhra Amitabh
भवदीय,
(जे. एस. अमिताभ)
कार्यकारी निदेशक और कंपनी सचिव

संलग्न: उपरोक्तानुसार

क्षेत्रीय कार्यालय : बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चेन्नई, देहरादून, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, पंचकूला, पटना, रायपुर, रांची, शिमला, तिरुवनंतपुरम और विजयवाड़ा

राज्य कार्यालय : वडोदरा, वाराणसी

प्रशिक्षण केंद्र : आरईसी इंस्टीट्यूट ऑफ पावर मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग (आरईसीआईपीएमटी), हैदराबाद

अनुषंगी कंपनियों की बिक्री और हस्तांतरण का विवरण

क्र.सं.	विवरण	बनासकांठा ट्रांसको लिमिटेड	कुरनूल- IV ट्रांसमिशन लिमिटेड	राजस्थान V पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	रतले किरू पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड
1.	पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान सूचीबद्ध इकाई की ऐसी इकाई या विभाग द्वारा योगदान किए गए टर्नओवर या राजस्व या आय और निवल मूल्य की राशि और प्रतिशत।	नगण्य	नगण्य	नगण्य	नगण्य
2.	वह तिथि जिस दिन बिक्री के लिए समझौता किया गया है।	आरईसीपीडीसीएल और सफल बोलीदाता के बीच 24.03.2025 को शेयर खरीद समझौता (एसपीए) निष्पादित हो गया है।	आरईसीपीडीसीएल और सफल बोलीदाता के बीच 24.03.2025 को शेयर खरीद समझौता (एसपीए) निष्पादित किया गया है।	आरईसीपीडीसीएल और सफल बोलीदाता के बीच 24.03.2025 को शेयर खरीद समझौता (एसपीए) निष्पादित किया गया है।	आरईसीपीडीसीएल और सफल बोलीदाता के बीच 24.03.2025 को शेयर खरीद समझौता (एसपीए) निष्पादित किया गया है।
3.	बिक्री/निपटान पूरा होने की अपेक्षित तिथि।				
4.	ऐसी बिक्री/निपटान से प्राप्त प्रतिफल।	प्रतिफल में ₹5 करोड़ का पेशेवर शुल्क और व्यय की प्रतिपूर्ति शामिल हैं।	इसमें ₹15 करोड़ रुपये का पेशेवर शुल्क और व्यय की प्रतिपूर्ति शामिल है।	विचार में ₹15 करोड़ का पेशेवर शुल्क और व्यय की प्रतिपूर्ति शामिल है।	विचार में ₹9.98 करोड़ का पेशेवर शुल्क और व्यय की प्रतिपूर्ति शामिल है।
5.	खरीदार का संक्षिप्त विवरण और क्या खरीदार प्रमोटर/प्रमोटर समूह/समूह कंपनियों से संबंधित हैं। यदि हाँ, तो उसका विवरण दें।	एसपीवी का नाम: बनासकांठा ट्रांसको लिमिटेड सफल बोलीदाता का नाम: पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यह उल्लेख करना आवश्यक है कि ऊपर उल्लिखित सफल बोलीदाता, प्रमोटर और प्रमोटर समूह से संबंधित नहीं है।	एसपीवी का नाम: कुरनूल- IV ट्रांसमिशन लिमिटेड सफल बोलीदाता का नाम: पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यह उल्लेख करना आवश्यक है कि ऊपर उल्लिखित सफल बोलीदाता, प्रमोटर और प्रमोटर समूह से संबंधित नहीं है।	एसपीवी का नाम: राजस्थान V पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड सफल बोलीदाता का नाम: पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यह उल्लेख करना आवश्यक है कि ऊपर उल्लिखित सफल बोलीदाता, प्रमोटर और प्रमोटर समूह से संबंधित नहीं है।	एसपीवी का नाम: रतले किरू पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड सफल बोलीदाता का नाम: इंडिग्रिड 2 प्राइवेट लिमिटेड यह उल्लेख करना आवश्यक है कि ऊपर उल्लिखित सफल बोलीदाता, प्रमोटर और प्रमोटर समूह से संबंधित नहीं है।

6.	क्या यह लेन-देन संबंधित पार्टी लेन-देन के अंतर्गत आएगा? यदि हाँ, तो क्या यह कार्य आर्म्स लेंथ पर किया जाता है।	यह लेन-देन संबंधित पार्टी लेन-देन के अंतर्गत नहीं है।	यह लेन-देन संबंधित पार्टी लेन-देन के अंतर्गत नहीं है।	यह लेन-देन संबंधित पार्टी लेन-देन के अंतर्गत नहीं है।	यह लेन-देन संबंधित पार्टी लेन-देन के अंतर्गत नहीं है।
7.	क्या उपक्रम की बिक्री, पट्टा या निपटान व्यवस्था की योजना से बाहर है? यदि हाँ, तो एलओडीआर विनियमों के विनियम 37ए के अनुपालन सहित उसका विवरण।	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
8.	क्या लेन-देन मंदी वाली बिक्री की प्रकृति में है।	उपरोक्त बिंदु संख्या 5 में दिए गए विवरण के अनुसार, सफल बोलीदाता को बनासकांठा ट्रांसको लिमिटेड की बिक्री और हस्तांतरण का प्रस्ताव मंदी वाली बिक्री की प्रकृति का नहीं है। इसके अलावा, एसपीवी की बिक्री और हस्तांतरण के लिए विचार समय-समय पर विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्धारित किया जाता है।	उपरोक्त बिंदु संख्या 5 में दिए गए विवरण के अनुसार, सफल बोलीदाता को कुरनूल-IV ट्रांसमिशन लिमिटेड की बिक्री और हस्तांतरण का प्रस्ताव मंदी वाली बिक्री की प्रकृति का नहीं है। इसके अलावा, एसपीवी की बिक्री और हस्तांतरण के लिए विचार समय-समय पर विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्धारित किया जाता है।	उपरोक्त बिंदु संख्या 5 में दिए गए विवरण के अनुसार, सफल बोलीदाता को राजस्थान V पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड की बिक्री और हस्तांतरण का प्रस्ताव मंदी वाली बिक्री की प्रकृति का नहीं है। इसके अलावा, एसपीवी की बिक्री और हस्तांतरण के लिए विचार समय-समय पर भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्धारित किया जाता है।	उपरोक्त बिंदु संख्या 5 में दिए गए विवरण के अनुसार, सफल बोलीदाता को रतले किरू पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड की बिक्री और हस्तांतरण का प्रस्ताव मंदी वाली बिक्री की प्रकृति का नहीं है। इसके अलावा, एसपीवी की बिक्री और हस्तांतरण के लिए विचार समय-समय पर विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्धारित किया जाता है।
